

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 14-07-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक , सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स कॉन्स ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. एण्ड सम्मान फाउन्डेशन अंतर्गत पंजीकृत बीमित व्यक्ति श्री पिन्दु कुमार निराला जो बेगूसराय में एम्बुलेंस ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे, उनकी आश्रिता पत्नी संगीता कुमारी, पुत्री- स्नेहा कुमारी को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. पिन्दु कुमार निराला की मृत्यु दिनांक 27-01-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी । वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थिक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया । पेंशन के रूप में 307 रु. प्रतिदिन की दर से लगभग प्रतिमाह (9210/-) आश्रितों को मिलेगा । दुर्घटना की तिथि से आज तक लगभग 271695 रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित किया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को □ □ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमित कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक